

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 534 / 2014

संस्थित दिनांक 28.07.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

1. पप्पु पिता लक्ष्मण भिलाला,  
उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नायदड़  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी
2. जामसिंह पिता काशीराम भिलाला,  
उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम नायदड़  
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री आर.के.श्रीवास

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 10-03-2017 को घोषित)

1— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 133/2014 के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 2-3/06/2014 की दरम्यानी रात फरियादी की मोबाईल दुकान बाजार चौक, ठीकरी में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में प्रयोग में आता था, में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर चोरी करने के आशय से रौतौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित करने तथा फरियादी के आधिपत्य की दुकान के अंदर रखे हुए मोबाईल झोन कंपनी के 3 नग, के.टच कंपनी के 2 नग, अर्श कंपनी के 1 नग एवं चायना कंपनी के मोबाईल एवं मेमोरी कार्ड, पेनड्राइव कुल कीमती लगभग रुपये 15,000/- एवं नगद रुपये 20,000/- उसकी सहमति के बिना सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी करने के लिये भा.द.वि. की धारा 457, 380 का आरोप है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.06.14 को फरियादी मनीष कुमार ने थाना ठीकरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मेन बाजार चौक में दक्ष मोबाईल के नाम से, मोबाईल सेल की दुकान है, दि. 02.06.14

को वह उसकी दुकान पर रात्रि करीब 9:00 बजे तक रहा उसके बाद दुकान बंद करके घर चला गया तथा आज सुबह करीबन 7:00 बजे वह उसकी मोबाईल दुकान पर आया और दुकान खोली तो दुकान में मोबाईल के खाली खोके बिखरे दिखे, और पीछे का दरवाजा टुटा हुआ दिखा, फिर उसने दुकान में मोबाईल चेक किये जिसमें झेन कंपनी के तीन नग एवं एच कंपनी के 2 नग, अर्थ कंपनी का एक नग एवं कुछ चायना कंपनी के मोबाईल एवं मेमोरी कार्ड पेनड्राईव नेट सेटर नग एक कुल कीमती रुपये 15,000/- एवं नगदी रुपये 20,000/- कोई अज्ञात बदमाश उसकी दुकान का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर चोरी करके ले गया है। बाद में उसने घटना का हाल मामा गोविंद व ध्यानुपंचोले को बताया व आसपास तलाश किया नहीं मिलने पर थाना रिपोर्ट करने आया, रिपोर्ट करता है। फरियादी मनीष की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 133/14 दर्ज कर, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये, फरियादी से उक्त मोबाईलों का बिल जप्त किया गया और मोबाईल के आई.एम.ई.आई. रूमालसिंह से जप्त किया गया, जिसने उक्त मोबाईल आरोपी पप्पू से खरीदना बताया था। अतः आरोपी पप्पू को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया, आरोपी की सूचना के आधार पर उसके निवास स्थान से चोरी की सम्पत्ति 12 मोबाईल जप्त किये तथा आरोपी जामसिंह से भी उसकी सूचना के आधार पर उक्त चोरी की सम्पत्ति मोबाईल जप्त किये, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्तगण पर भादवि की धारा 457, 380 का आरोप लगाने पर आरोपीगण ने आरोप से इंकार कर विचारण चाहा, उनका अभिवाक लिखा गया। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं और उनको झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

5— प्रकरण के युक्तियुक्त निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या दिनांक 2-3/06/2014 की दरम्यानी रात फरियादी की मोबाईल दुकान बाजार चौक, ठीकरी में जो कि सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में प्रयोग में आता था, में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व दरवाजा तोड़कर प्रवेश कर चोरी करने के आशय से रौत्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं वहा रखी सम्पत्ति मोबाईल एवं नगद रुपये 20,000 की चोरी हुई थी ?
ब	क्या उक्त चोरी एवं रात्रि गृह भेदन आरोपीगण द्वारा की गई है?
स	निष्कर्ष एवं दण्डादेश?

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक—‘अ’ पर सकारण निष्कर्ष —

6— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में मनीष (अ.सा.1) का कथन है कि उसकी दक्ष मोबाईल पाईट के नाम से ठीकरी में मोबाईल शॉप है। लगभग एक वर्ष पूर्व उसने अपनी मोबाईल दुकान रात लगभग 9:00 बजे बंद की थी और घर चला गया था, सुबह लगभग 7:00 बजे उसने दुकान खोली और देखा कि दुकान का पिछला दरवाजा टुटा था और दुकान में बेचने के लिये रखे हुए झेन कंपनी, नोकिया कंपनी, स्पाईस कंपनी, सेमसंग कंपनी तथा चाईना कंपनी के कुल मिलाकर 60 नग मोबाईल चोरी गये थे तथा मोबाईल की मेमोरी कार्ड, नेट सेटर, पेनड्राईव भी अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था। घटना के संबंध में उसने अपने मामा गोविंद तथा मित्र को बताया तथा आसपास तलाश की नहीं मिलने पर थाना ठीकरी में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट की जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशांदाही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को मोबाईल के बिल दिये थे जो प्रदर्श पी 3 हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

7— गोविंद (अ.सा.2) तथा ध्यानू (अ.सा.4) भी मनीष की मोबाईल की दुकान में मध्य रात्रि के समय पीछे का दरवाजा खोलकर वहां रखे मोबाईल फोन की चोरी होने के संबंध में कथन किये हैं। राजाराम (अ.सा.6) ने भी दि. 03.06.14 को थाना ठीकरी में फरियादी मनीष द्वारा उसकी दुकान पर रात में मोबाईल, नेट सेटर और लगभग 20,000/- चोरी होने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लिखाने और उसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने फरियादी मनीष की निशांदाही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त किसी भी साक्षी को बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया गया है कि फरियादी मनीष की दुकान पर मध्य रात्रि के समय उक्त दिनांक को पीछे का दरवाजा तौड़कर रात्रि गृह भेदन एवं लगभग 24 नग मोबाईल एवं नगदी धन राशि की चोरी नहीं हुई है। अतः यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी की दुकान में मध्य रात्रि के समय दरवाजा तौड़कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं वहां रखी सम्पत्ति की चोरी हुई थी।

— विचारणीय प्रश्न क्रमांक—‘ब’ पर सकारण निष्कर्ष —

9— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में राजाराम (अ.सा.6) का कथन है कि फरियादी ने प्रदर्श पी 3 के बिल मोबाईल खरीदी के संबंध में प्रस्तुत किये थे जिसमें चोरी गये मोबाईलों के आई.एम.ई.आई नंबर दिये थे, जिसमें से एक मोबाईल मॉडल नं. पी-36 जिसका आई.एम.ई.आई. नं. 911352703495229 था एवं मोबाईल सीम नं.919669639931 पर श्रीमती चंपाबाई पति रुमालसिंग, निवासी जहांगीरपुरा, तहसील कसरावद, जिला खरगोन के नाम से चलाना पाया गया, तो उसने रुमालसिंग को थाने पर उपस्थित होने का प्रदर्श पी 12 का सूचना पत्र दिया था। रुमालसिंग ने उसके द्वारा पूछने पर बताया कि उसके जीजा पप्पू पिता

लक्ष्मण, निवासी नायदड़ ने उसे एक माह पूर्व झेन कंपनी का मोबाईल दिया था, जिसमें उसने उक्त सीम नं.919669639931 अपनी पत्नी के नाम से डाली थी।

10— साक्षी का यह भी कथन है कि उसने रूमालसिंग से उक्त आई.एम.ई. आई. नं. 911352703495229 तथा आई.एम.ई.आई.नं. 911352703495237 प्रदर्श पी 3 के अनुसार जप्त किया था। उसने आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर उसे साक्षी पियूष एवं लव के समक्ष पूछताछ की थी तो उसने मोबाईल अपने घर में ज्वार की कोठी में छुपाकर रखना बताया, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 9 का उसने बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आरोपी पप्पू को साथ लेकर उसके गांव ग्राम नायदड़ गये तो आरोपी ने अपने घर के अंदर रखी ज्वार की कोठी में 12 नग मोबाईल जप्त कराये थे तथा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी 10 का उसने बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी जामसिंह को गिरफ्तार कर और उससे पूछताछ की तो उसने मोबाईल अपने घर में पतरे की कोठी के पीछे कोने में छुपाकर रखना बताया था, जिसका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी 6 का तैयार करना बताया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, वह आरोपी जामसिंह को साथ लेकर उसके गांव नायदड़ गया तो आरोपी जामसिंह ने अपने घर के अंदर पतरे की कोठी के पीछे कोने में छुपाकर रखे 12 मोबाईल प्रदर्श पी 7 के अनुसार जप्त कराये थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था अथवा फरियादी ने उसे मोबाईल के बिल नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसे आरोपी पप्पू और जामसिंह ने कोई मेमोरेण्डम नहीं दिया था अथवा आरोपीगण के आधिपत्य से कोई भी मोबाईल जप्त नहीं किये थे अथवा उसने आरोपीगण के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

11— रूमालसिंह (अ.सा.3) का कथन है कि आरोपी पप्पू उसका जीजा है। उसे पप्पू ने कोई मोबाईल नहीं दिया था। उसे इस प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि साक्षी ने प्रदर्श पी 3 के जप्ती पंचनामे पर थाना ठीकरी में हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी पप्पू ने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व उसे काले रंग का झेन कंपनी का मोबाईल दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने उक्त मोबाईल में अपनी पत्नी चंपाबाई के नाम से सीम नं. 919669639931 डालकर उपयोग किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उक्त मोबाईल उससे चारी की अशंका में जप्त किया था। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 4 का कथन देने से स्पष्ट इंकार किया है।

12— पियूष (अ.सा.5) तथा लव कुमार (अ.सा.7) आरोपीगण के मेमोरेण्डम और जप्ती पंचनामों के साक्षी हैं, किंतु दोनों ही साक्षीगण आरोपीगण को पहचानने एवं उने सामने आरोपीगण से कोई भी पूछताछ करने अथवा आरोपीगण से उनके सामने कोई भी वस्तु जप्त करने से इंकार किया है और अभियोजन के मामले का स्पष्ट खण्डन किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने प्रदर्श पी 3 से लेकर प्रदर्श पी 10 के जप्ती पंचनामों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षियों ने

अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि पुलिस ने दोनों आरोपीगण से उनके सामने पूछताछ की थी तो आरोपीगण ने मोबाईल अपने घर के अंदर छीपाकर रखना बताया था। साक्षीगण ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस ने दोनों आरोपीगण के घर से चोरी की सम्पत्ति 12-12 मोबाईल उनके सामने जप्त किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने हस्ताक्षर करने के पहले उक्त पंचनामों को पढ़ा नहीं था और पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। लव कुमार (अ.सा.7) ने साथ में यह भी स्वीकार किया है कि मनीष उसका दोस्त है और उसने मनीष के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

13— इस प्रकार जप्ती पंचनामे और आरोपीगण के मेमोरेण्डम के दोनों ही साक्षी पक्ष विरोधी रहे हैं, उन्होंने अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता पुलिस अधिकारी एक मात्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी मनीष के आधिपत्य से उसके घर में रखी सम्पत्ति मोबाईल और नगद धन राशि उसकी अनुमति के बिना बैईमानी से हटाकर चोरी की। अतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत(क) के अनुसार उपधारणा अभियोजन के पक्ष में भी नहीं की जा सकती है। अतः उक्त विचारणीय प्रश्न प्रमाणित नहीं होता है।

### — विचारणीय प्रश्न क्रमांक—‘स’ पर सकारण निष्कर्ष —

14— अतः उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपीगण के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी पप्पु पिता लक्ष्मण भिलाला, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम नायदड़, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी, जामसिंह पिता काशीराम भिलाला, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम नायदड़ तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को भा.द.वि. की धारा 457,380 के अपराध से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्तगण के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

17— प्रकरण में जप्तशुदा 24 नग मोबाईल पूर्व से उनके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उन्हीं के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

—सही—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.